कार्यालय देवघर नगर निगम, देवघर

पत्रांक 243
दि० 28/01/2016

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
देवघर नगर निगम, देवघर

सेवा में,

नाम– श्रीमती किरण देवी पति - श्री त्रिपुरारी प्र० बरनवाल
पिता/पति का नाम– श्री त्रिपुरारी प्र० बरनवाल पिता - स्व० पंचानन्द प्र० बरनवाल
पता– मोहल्ला - बम्पासटाउन, वार्ड नं० 10 पु० नया वार्ड 8 देवघर
बी0पी0 नं0– 52/2015-2016

आपके द्वारा वार्ड नं0 08 खाता सं0 48 प्लॉट नं0 57,7 क्षेत्रफल 7800 व०फी० के दिये गये प्रस्तावित नक्शा की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ दी जाती है:–

(1) आवेदक अपने नक्शा प्रस्ताव में प्रस्तावित भवन के सामने, पीछे एवं साईड में भवन निर्माण मापदंड के अनुरूप खाली जगह (Set back) छोडेगें।

(2) प्रस्तावित भवन की प्लिंथ की उँचाई सामने वाले पथ के सेंटर लाईन से अधिकतम 1.20 मी0 रखेगें।

(3) प्रस्तावित भवन निर्माण में अच्छी गुणवत्ता का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत प्रयोगशाला के प्रमाण पत्र के आलोक में प्रयुक्त किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित भवन के भूमि तल की न्यूनतम उँचाई 9 फीट रखनी होगी।

(5) प्रस्तावित भवन में समुचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(6) वर्षा के पानी को छत से आवश्यक उपकरण के द्वारा अपने प्लॉट में ही जल संचयन की व्यवस्था करनी होगी।

(7) अपने प्लॉट में भवन निर्माण, उपविधि 2006 के अनुकूल सेप्टिक टैंक, सीवर लाईन एवं सोक पिट् निर्माण, वास्तुविद की देख रेख में भवन निर्माण विधि के तहत सुनिश्चित करायेगें।

(8) आवश्यकतानुसार कुआँ का निर्माण, भवन निर्माण उपविधि के अनुसार वास्तुविद् की देख रेख में करेगें एवं कुएँ के पानी से यथा आवश्यक अपने बाग/बगीचे की सिचाई की जा सकेगी।

(9) स्वीकृति कराये गए प्रस्तावित नक्शा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण खाली जगह पर नही किया जायेगा।

(10) भवन निर्माण उपविधि 2006 के द्वारा निर्देशित माप दण्ड के अनुरूप ही अपने भवन का निर्माण कार्य प्राधिकृत वास्तुविद की देख–रेख मे स्वीकृति के अनुरूप करेगें तथा इसमें कोई विचलन आपके द्वारा नहीं किया जाएगा।

(11) भवन निर्माण उपविधि 2006 के आलोक में राज्य अग्नि शमन सेवा मुख्यालय राँची से प्राप्त सुझाव का अनुपालन अपने प्राधिकृत वास्तुविद की देख–रेख में करना सुनिश्चित करेगें तदनोपरांत ही सम्पूरण प्रमाण पत्र हेतु वास्तुविद के माध्यम से कार्यालय को आवेदन देगें।

12. बिल्डिंग बायलॉज के अन्य नियमों/शर्त्तो का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगें।

J.E. [illegible] AE 28.01.2016

कार्यपालक अभियन्ता
सह नगर निवेशक
देवघर नगर निगम, देवघर

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
देवघर नगर निगम, देवघर